कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–5/1215/2023/10–11/1324 भोपाल, दिनांक 24-04-25

प्रति,

उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।

विषयः– पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/तकनीकी/836 दिनांक 22.04.2025

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, संदर्भित पत्र के द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि प्राप्त की जाये या पूर्व में प्रेषित की गई 70.00 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपण योजना पुनः प्रेषित की जावे अथवा 44.492 हेक्टेयर व्यपवर्तित वनक्षेत्र के बदले दुगने बिगड़े वनक्षेत्र की 88.984 हेक्टेयर की नवीन वृक्षारोपण योजना तैयार किए जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में लेख है कि आवेदक संस्थान द्वारा 31.90 हेक्टेयर का ऑनलाईन आवेदन किया गया था। संयुक्त स्थल निरीक्षण के पश्चात रकबा 31.82 हेक्टेयर हो गया है, जिसकी भाग–2 में आपके द्वारा प्रविष्टि भी की गई है। भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 12.04.2024 से कैरिज–वे क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके तारतम्य में आवेदक संस्थान द्वारा कैरिज–वे क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए मूल प्रस्तावित रकबा 31.92 हेक्टेयर एवं Existing carriage way का क्षेत्र 12.60 हेक्टेयर कुल 44.52 हेक्टेयर हो रहा है। चूंकि चौडीकरण का क्षेत्र 31.82 हेक्टेयर हो रहा है, जिसकी वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना दुगने बिगड़े वनक्षेत्र 70.00 हेक्टेयर में बनाई गई है, जिसे मान्य किया जावे एवं कैरिज–वे का क्षेत्र 12.60 हेक्टेयर 1980 के पूर्व का है। आवेदक संस्थान द्वारा टोपोशीट में उल्लेख किया गया है। नेट प्रजेण्ट वैल्यू एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं लिया जाना है।

अतः प्रकरण में तदानुसार कार्यवाही करें।

24.04.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1215 / 2023 / 10–11 / 1325 भोपाल, दिनांक 29-04-25

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश की ओर आपके पत्र क्रमांक / 769 दिनांक 11.04.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल